

समाचार

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका व मितानिनों को दिया गया कार्य का प्रशिक्षण
(निगम क्षेत्र के असंगठित कर्मकारों को जोड़ा जाएगा शासन की बीमा योजनाओं से)



कोरबा 20 जून 2015—प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना व प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से पंजीकृत असंगठित कर्मकारों को जोड़े जाने हेतु उनकी फार्म भराये जाने एवं तत्संबंध में आवश्यक कार्यवाही किये जाने के संबंध में आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं व मितानिनों को कार्य का सघन प्रशिक्षण दिया गया तथा आवेदन फार्म सहित अन्य संबंधित सामग्री वितरित की गई।

नगर पालिक निगम कोरबा के मुख्य प्रशासनिक भवन साकेत स्थित सभागार में 20 जून को दोपहर 12 बजे इन कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर लीड बैंक मैनेजर राजेन्द्र वासनिक एवं निगम के समाज कल्याण अधिकारी डॉ.शिरीन लाखे ने कार्य के संबंध में विस्तृत जानकारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं को दी। यहां उल्लेखनीय है कि नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्रांतर्गत लगभग 48 हजार से अधिक असंगठित कर्मकार पंजीकृत हैं, इन सभी कर्मकारों को भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ दिलाये जाने के संबंध में शासन से

प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुरूप समुचित कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं एवं मितानिनों के द्वारा पंजीकृत असंगठित कर्मकारों के घरों में पहुंचकर उनसे इन बीमा योजनाओं के तहत आवेदन फार्म भराये जाएंगे। प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि असंगठित कर्मकारों को इन बीमा योजनाओं से जोड़ने हेतु आगामी 30 जून तक एक विशेष अभियान के रूप में कार्यवाही की जानी है तथा सभी कर्मकारों के घर पहुंचकर उनसे आवेदन फार्म भराये जाने हैं। प्रशिक्षण में बताया कि भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 12 रुपये के वार्षिक प्रीमियम पर 02 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 330 रुपये वार्षिक प्रीमियम पर 02 लाख रुपये का जीवन बीमा किये जाने की जनकल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वित की गई है, इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए हितग्राही का बैंक खाता होना अनिवार्य हैं तथा इन बैंक खातों के माध्यम से ही उन्हें इन योजनाओं से जोड़ा जाएगा। असंगठित कर्मकारों को इन योजनाओं से जोड़ने हेतु उनके घर पर ही पहुंचकर उनसे आवश्यक जानकारियां प्राप्त की जाएंगी तथा फार्म भराए जाएंगे, इन आवेदन पत्रों में हितग्राही का नाम, बैंक खाता क्रमांक, बैंक का नाम, मोबाईल नम्बर यदि हो तो, नामिनी का नाम, जन्मतिथि आदि सहित अन्य जानकारी भरवायी जाएगी, जिन असंगठित कर्मकारों के बैंक खाते अभी तक नहीं खुले हैं, वे भी यह आवेदन फार्म प्राप्त कर सकते हैं तथा बैंक खाता खुलवाने के बाद इस फार्म को भरकर जमा करा सकते हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान इन कर्मियों को आवेदन फार्म सहित अन्य आवश्यक सामग्रियों का वितरण भी किया गया।